कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन
पाँचवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 301 /आउशि/शा–7/अनु0/08–09/आयोजनेत्तर   भोपाल, दिनांक 26/11/2008

प्रति,

संबंधित प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
शासकीय............................ महाविद्यालय (अग्रणी),
.... मध्यप्रदेश

विषयः– अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट वर्ष 2008–09 के लिये आवंटन देने बावत् ।

............000...........

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह अक्टूबर, 08 से मार्च– 09 तक वेतन भत्तों एवं डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./ के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर मद में संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालयों को राशि **रूपये 1,85,08250/–(रूपये एक करोड़, पिचासी लाख, आठ हज़ार, दौ सौ पचास मात्र)** आवंटन प्रदान किया जाता है। इस आवंटित राशि, दिनांक 31.3.2008 को संस्थागत निधि में उपलब्ध अनुदान की शेष राशि एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 में पूर्व में आवंटित राशि को मिलाकर देय वेतन आदि तथा पूर्व के बकाया डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./का नियमानुसार परीक्षण कर भुगमान करें । आयोजना मद का विलय आयोजनेत्तर मद में कर दिया गया है । शासन द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ही आयोजना मद के पदों का व्यय आयोजनेत्तर मद से पूर्वानुसार ही किया जाए ।

2. **आवंटित /स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा (03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (104) गैर सरकारी कालेज और संस्थाएं (3444) महाविद्यालयों को पोषण अनुदान 42/007 आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2008–09 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।**

3. **<u>उक्त आवंटन निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:–</u>**

(1) संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालय के समक्ष जारी आवंटन/स्वीकृत की राशि का विमोचन तभी किया जाए जबकि संस्था द्वारा पूर्व में जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आपके द्वारा प्राप्त किया गया हो । आपके द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को अग्रेषित करें । इस आवंटित राशि से भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि भुगतान की गई राशि की संबंधित को पात्रता है और भुगतान न करने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है एवं अवमानना नहीं हो रही है ।

(2) **आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु स्वीकृत एवं मान्य पदों पर शासन द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को अनुमोदित मदों में 50 प्रतिशत राशि का ही आहरण**

निरन्तर...

किया जाये । गैर अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को यदि भुगतान हुआ तो उसकी वसूली संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं शिक्षाधिकारियों से की जायेगी ।

(3) स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 से वर्ष 2007–08 तक का आडिट होना सुनिश्चित करें एवं पूर्व वर्षो सहित आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित किया जाये तथा मांग पत्र में इसका स्पष्ट प्रमाण पत्र अंकित करें कि आडिट संबंधी कोई कंडिका लंबित नहीं है ।

(4) महाविद्यालयो द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही फीस की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा होना सुनिश्चित किया जाये ।

(5) उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार /वित्त विभाग /स्थनीय निधि संपरीक्षा /उच्चशिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जॉच हेतु खुले रहेंगें ।

(6) वर्ष 1996 के पूर्व के डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर. की राशि का भुगतान उन्ही वादियों /कार्मिकों को किया जाये जिनकी राशि एवं स्वीकृति शासन/आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान कर दी गई है ।

(7) वर्ष 1996 के बाद तदर्थ महंगाई भत्ते की राशि के भुगतान के पूर्व परीक्षण कर ले कि की दोहरा भुगतान तो नहीं हो रहा है । परीक्षण कर के ही पात्रता होने पर भुगतान करें ।

(8) दिनांक 31.3.08 को संस्थागत निधि में अनुदान की शेष राशि ,वित्तीय वर्ष 2008–09 में तथा इस आदेश द्वारा जारी आवंटित राशि को मिलकर भुगतान करें । संस्थागत निधि में अनुदान की राशि शेष रहने तक अनुदान की मांग नहीं करें ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा स्वीकृत)

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 302 /आउशि/शा–7/अनु0/08–09/आयोजनेत्तर भोपाल, दिनांक 28/11/2008

प्रतिलिपि:–

1 संबंधित कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

2– संबंधित प्राचार्य,..............................महाविद्यालय,..............................म0प्र0 की ओर भेज कर सूचित किया जाता है कि उक्त राशि का आवंटन अनुदान प्राप्त अशासकीय महविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियां को मासिक वेतन–भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदाय किया जा रहा है ।

3– संबंधित क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Office of the Commissioner Higher Education Govt of MP.
Satpura Bhawan Bhopal

S.No	Name of District	Name of the aided colleges	Name of Education Officer	Name of Treasury	Code No.	Balance amount of grant in Sanstha get Nidhi as on 31.10.2008	Amount to be given IInd instalment during the year 2008-09	Total of Col.	Amount proposed
	2	3	4	5	6	7	8	9`	10
1	Gwalior	Madhav College, Gwalior	Govt. College, Gwalior	Treasury, Motimahal, Gwalior	1413802001	2107287	1806000	3913287	1806000
2	Gwalior	Maharaja Mansingh College, Gwalior	Govt. College, Gwalior	Treasury, Motimahal,	1413802001	635480	466000	1101480	466000
3	Gwalior	J.C. Mills Girls College, Gwalior	Govt. College, Gwalior	Treasury, Motimahal, Gwalior	1413802001	1405170	1166000	2571170	1166000
4	Gwalior	Shankar Gandharv Sangeet College, Gwalior	Govt. College, Gwalior	Treasury, Motimahal, Gwalior	1413802001	298314	488000	786314	488000
					Total	**4446251**	**3926000**	**8372251**	**3926000**
5	Murena	Rishi Galav College, Murena	Govt. P.G. College, Murena	Distt. Treasury, Murena	2503802001	1788000	1588000	3376000	1588000
6	Murena	Ambah P.G. College, Ambah	Govt. P.G. College, Murena	Distt. Treasury, Murena	2503802001	1948750	1742000	3690750	1742000
					Total	**3736750**	**3330000**	**7066750**	**3330000**
7	Rewa	Seth Raghunath Pd. College, Hanumana	Govt. Adarsh Sc. College, Rewa	Treasury, Rewa	3203802007	1465482	1228500	2693982	1228500
8	Rewa	Degree College, Sirmur	Govt. Adarsh Sc. College, Rewa	Treasury, Rewa	3203802007	1870636	1628000	3498636	1628000
9	Rewa	Nehru Smarak College, Chakghat	Govt. Adarsh Sc. College, Rewa	Treasury, Rewa	3203802007	2311046	1620000	3931046	1620000
10	Rewa	Ragbhanu Singh College, Manikwar Rewa	Govt. Adarsh Sc. College, Rewa	Treasury, Rewa	3203802007	88750	88750	177500	88750
					Total	**5735914**	**4565250**	**10301164**	**4565250**
11	Sagar	Shri Vallabhadas Maheshwari College, Khurai	Govt. Arts Comm. College, Sagar	Treasury, Sagar	3303802002	632095	518000	1150095	518000
					Total	**632095**	**518000**	**1150095**	**518000**
12	Chhindwara	Danielson College, Chhindwara	Govt. P.G. College, Chhindwara	Treasury, Chhindwara	703802001	1289644	874000	2163644	874000
13	Chhindwara	Arts Commerce College, Pandhurna	Govt. P.G. College, Chhindwara	Treasury, Chhindwara	703802001	1014619	748000	1762619	748000
					Total	**2304263**	**1622000**	**3926263**	**1622000**
14	Jabalpur	Sant Aloysious College, Jabalpur	Govt. Mahakaushal Arts Comm. College, JBP.	City Treasury, Jabalpur	1803802002	1488853	1206000	2694853	1206000
15	Jabalpur	Havabagh Arts/Sci. College, Jabalpur	Govt. Mahakaushal Arts Comm. College, JBP.	City Treasury, Jabalpur	1803802002	1349823	1833000	3182823	1833000
					Total	**2838676**	**3039000**	**5877676**	**3039000**
16	Ujjain	Sandipani College, Ujjain	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain	Treasury, Ujjain	4303802009	949643	740000	1689643	740000
					Total	**949643**	**740000**	**1689643**	**740000**
17	Mandsaur	HC Chourdia College, Bhanpura	Govt. P.G. College, Mandsaur	Treasury, Mandsaur	2403802003	869644	768000	1637644	768000
					Total	**869644**	**768000**	**1637644**	**768000**
					G/Total	**21513236**	**18508250**	**40021486**	**18508250**

Rs. One crore, eighty five lac,eighet thousand, two hundred fifty onlyu

Anudan Allot-lead 9th

अधीक्षक
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल

25-11-08

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन
पॉंचवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 304 /आउशि/शा–7/अनु0/08–09/आयोजनेत्तर भोपाल, दिनांक 29 /11/ 2008

प्रति,

संबंधित प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
शासकीय.......................... महाविद्यालय (अग्रणी),
.... मध्यप्रदेश

विषयः– अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट वर्ष 2008–09 के लिये आवंटन देने बावत् ।

............000...........

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह अक्टूबर, 08 से मार्च– 09 तक वेतन भत्तों एवं डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./ के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर मद में संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालयों को राशि **रूपये 6,00,000/–(रूपये छः लाख मात्र)** आवंटन प्रदान किया जाता है। इस आवंटित राशि, दिनांक 31.3.2008 को संस्थागत निधि में उपलब्ध अनुदान की शेष राशि एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 में पूर्व में आवंटित राशि को मिलाकर देय वेतन आदि तथा पूर्व के बकाया डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर./का नियमानुसार परीक्षण कर भुगमान करें । आयोजना मद का विलय आयोजनेत्तर मद में कर दिया गया है । शासन द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ही आयोजना मद के पदों का व्यय आयोजनेत्तर मद से पूर्वानुसार ही किया जाए ।

2. **आवंटित /स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा (03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (104) गैर सरकारी कालेज और संस्थाएं (3444) महाविद्यालयों को पोषण अनुदान 42/007 आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2008–09 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।**

3. **<u>उक्त आवंटन निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:–</u>**

(1) संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालय के समक्ष जारी आवंटन/स्वीकृत की राशि का विमोचन तभी किया जाए जबकि संस्था द्वारा पूर्व में जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आपके द्वारा प्राप्त किया गया हो । आपके द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को अग्रेषित करें । इस आवंटित राशि से भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि भुगतान की गई राशि की संबंधित को पात्रता है और भुगतान न करने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है एवं अवमानना नहीं हो रही है ।

(2) आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु स्वीकृत एवं मान्य पदों पर शासन द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को अनुमोदित मदों में 50 प्रतिशत राशि का ही आहरण

निरन्तर...

किया जाये । गैर अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को यदि भुगतान हुआ.तो उसकी वसूली संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षाधिकारियों से की जायेगी ।

(3) स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 से वर्ष 2007–08 तक का आडिट होना सुनिश्चित करें एवं पूर्व वर्षो सहित आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित किया जाये तथा मांग पत्र में इसका स्पष्ट प्रमाण पत्र अंकित करें कि आडिट संबंधी कोई कंडिका लंबित नहीं है ।

(4) महाविद्यालयो द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही फीस की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा होना सुनिश्चित किया जाये ।

(5) उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार /वित्त विभाग /स्थनीय निधि संपरीक्षा /उच्चशिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जॉच हेतु खुले रहेंगें ।

(6) वर्ष 1996 के पूर्व के डी.ए./ए.डी.ए./एच.आर.ए./आई.आर. की राशि का भुगतान उन्ही वादियों /कार्मिकों को किया जाये जिनकी राशि एवं स्वीकृति शासन/आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान कर दी गई है ।

(7) वर्ष 1996 के बाद तदर्थ महंगाई भत्ते की राशि के भुगतान के पूर्व परीक्षण कर ले कि की दोहरा भुगतान तो नहीं हो रहा है । परीक्षण कर के ही पात्रता होने पर भुगतान करें ।

(8) दिनांक 31.3.08 को संस्थागत निधि में अनुदान की शेष राशि ,वित्तीय वर्ष 2008–09 में तथा इस आदेश द्वारा जारी आवंटित राशि को मिलकर भुगतान करें । संस्थागत निधि में अनुदान की राशि शेष रहने तक अनुदान की मांग नहीं करें ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा स्वीकृत)

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0कमांक 305 /आउशि/शा–7/अनु0/08–09/आयोजनेत्तर भोपाल, दिनांक 29 /11/2008

प्रतिलिपिः–

1 संबंधित कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

2– संबंधित प्राचार्य,..............................महाविद्यालय,..............................म0प्र0 की ओर भेज कर सूचित किया जाता है कि उक्त राशि का आवंटन अनुदान प्राप्त अशासकीय महविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को मासिक वेतन–भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदाय किया जा रहा है ।

3– संबंधित क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Office of the Commissioner Higher Education Govt of MP.
Satpura Bhawan Bhopal

S.No.	Name of District	Name of the aided colleges	Name of Education Officer	Name of Treasury	Code No.	Balance amount of grant in Sanstha get Nidhi as on 31-10-2008	Amount to be given Ist instalment during the year 2008-09	Total of Col.	Amount Sanctioned
1	2	3	4	5	6	7	8	9`	10
1	Indore	Indore School of Social work, Indore	Govt. Girls College, Motiabela, Indore	Treasury, Indore	1713802004	600000	600000	1200000	600000
		Total					600000	600000	600000

Rs. Six lac only

Dwivedi

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल

29-11-08